पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री ओ०पी० चन्देलिया

**प्रकरण सं० : 48/2024**

**अनवान :**

1. गोपीराम पुत्र जमनाराम जाति मेघवाल निवासी कणाउ तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र जमनाराम जाति मेघवाल निवासी कणाउ तहसील भादरा।

:— वादीगण

## बनाम

1. जमनाराम पुत्र पना जाति मेघवाल निवासी कणाउ तहसील भादरा।
2. कलावती पुत्री जमनाराम पत्नी महेन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी कणाउ तहसील भादरा हाल जतासरी तहसील नोहर।
3. सुखमा पुत्री जमनाराम पत्नी कालूराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी कणाउ तहसील भादरा हाल जतासरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सलमान खान एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र कडवासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 105/106 के ख0सं0 392 की 2.1370है0, ख0सं0 398 की 8.6420 है0, ख0सं0 412 की 5.2740है0, ख0सं0 413 की 1.7830है0 कुल खसरा 4 की कुल 17.8360है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 जमनाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 जमनाराम अकेले की बजाय वादी सं0 1 गोपीराम, वादी सं0 2 देवीलाल तथा प्रतिवादी सं0 1 जमनाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। राजबाला के संबंध में वादी देवीलाल द्वारा पेश किया गया शपथ प्रत्र (ATTESTED BY SAHADEV NOTARY AND ADVOCATE BHADRA) के अनुसार राजबाला की मृत्यु हो चुकी है और उसके कोई जीवित कानूनी वारिस नहीं है। यदि इस संबंध में वादी देवीलाल ने कोई तथ्य छुपाया तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी वादी देवीलाल की होगी।यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

11/06/24
(ओमप्रकाश चन्देलिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.19 10:31:07 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner